अधिसूचना / विज्ञप्ति

सहकारिता अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–315765/XIV-1/2025 - 03(04)2024 दिनांक 22.07.2025 द्वारा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उत्तराखंण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा–64 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार विभागीय योजनाओं के समुचित अनुश्रवण, ऑडिट, संचालन एवं क्रियान्वयन से संबन्धित कार्यो के निस्तारण हेतु विभागीय कार्यहित में निबंधक सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड (मुख्यालय) में "उप निबंधक (ऑडिट)" लेवल–11 (वेतनमान 67700–208700) के सृजित निःसंवर्गीय पद को साक्षात्कार के माध्यम से भरने के लिए निम्न निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करते हैं, आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :–

पात्रता मानदण्ड :–

1. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के संगठित समूह–क लेखा सेवा के ऐसे अनुभवी अधिकारी, जो

(क) (1) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है;

अथवा

(2) मूल कैडर या विभाग में वेतन बैंड–3 में रु0 15600–39100/– + ग्रेड वेतन 5400/– या उच्च ग्रेड में न्यूनतम आठ वर्ष का अनुभव हो;

और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव हो,

(1) आवश्यक :

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का सदस्य;

(2) वांछनीय :

(अ) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या प्रबंधन में डिग्री;

(ब) कम्प्यूटर में लेखाकरण word, Excel, PPT & e-office का ज्ञान/अनुभव।

1. आयु सीमा –

दिनांक 01.07.2025 को आवेदक की आयु 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. वेतन/भत्ते –

(क) चयनित अभ्यर्थी को वेतन संरक्षण अनुमन्य होगा एवं वही वेतन अनुमन्य होगा, जो उसे अपने मूल विभाग/संगठन से अनुमन्य था। चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार मंहगाई भत्ता व वार्षिक वेतन वृद्धि देय होंगे।

(ख) चयनित अभ्यर्थी को एच०आर०ए०/टी०ए०/अन्य समस्त भत्ते नियमानुसार देय होंगे ।

3 आवेदन प्रकिया :

1. इच्छुक एवं पात्र अधिकारी उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

2. आवेदन पत्र निम्नलिखित पते पर निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक अथवा ई–मेल recruitmentukcoop@gmail.com पर भेजे जा सकते है:–

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड
रेलवे क्रासिंग के पास, मियॉवाला,
देहरादून।

आवेदन की अन्तिम तिथिः ....

अतिरिक्त जानकारी के लिये सहकारिता विभाग की वेबसाइट www.cooperative.uk.gov.in पर जाये।

1. अन्य नियम/शर्ते अनुलग्नक–2 पर संलग्न है।
2. भर्ती प्रकिया के किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड

अनुलग्नक–2

अन्य नियम व शर्ते :–

1. उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के अनुसार और साक्षात्कार समिति द्वारा तय योग्यता के क्रम में किया जाएगा। साक्षात्कार के समय सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने होंगे। पात्रता, कार्य अनुभव, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित सभी मामलों में विभाग की समिति का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

2. साक्षात्कार समिति में उत्तराखण्ड सहकारी सेवा नियमावली, 2016 के प्राविधानानुसार निम्न अधिकारीगण होंगे :–

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष,
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो उत्तराखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से निम्न न हो, – सदस्य,
(3) निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड – सदस्य,

3. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार टाइप किया जाना चाहिए और इसके साथ स्व–सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :–
(1) शैक्षिक योग्यता की प्रतियां;
(2) पिछले 5 वर्षो की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) ग्रेडिंग/वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि;
(3) वर्तमान वेतन निर्धारण आदेश की प्रति;
(4) नवीनतम महीने के लिए वेतन पर्ची;
(5) जन्म तिथि एवं पहचान के प्रमाण पत्र;
(6) कोई अन्य दस्तावेज।

4. समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों को विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग विज्ञप्ति में उल्लिखित आवश्यक और वांछनीय योग्यता के संयोजन पर आधारित होगी।

6. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होने की सूचना दी जायेगी। साक्षात्कार की तिथि से केवल चयनित अभ्यर्थियों को ईमेल/डाक के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

7. साक्षात्कार में बुलाये गए उम्मीदवारों को कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

8. उक्त पद पर नियुक्ति 05 वर्षो के लिए होगी, जिसे विभागीय कार्यहित में आगे बढ़ाया जा सकता है।

9. अभ्यर्थी विभाग के कार्यो की गोपनीयता की घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा ।

10. सचिव, सहकारिता विभाग को उम्मीदवार द्वारा दी गई अपूर्ण जानकारी या किसी अन्य कारण से किसी भी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

11– आवेदन कैसे करें:– अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे सभी प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित प्रारूप में हार्ड कॉपी, नवीनतम 2 फोटोग्राफ के साथ पता कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, रेलवे क्रासिंग के पास, मियॉवाला, देहरादून पर भेजे अथवा इसे ईमेल recruitmentukcoop@gmail.com पर प्रेषित करेंगें।

<u>सहकारिता विभाग के अन्तर्गत "उप निबन्धक (ऑडिट)" के पद हेतु आवेदन का प्रारूप</u>

सेवा में,
निबन्धक,
सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड
रेलवे क्रासिंग के पास, मियॉवाला,
देहरादून।

महोदय / महोदया,

सहकारिता विभाग की वेब साइट recruitmentukcoop@gmail.com / समाचार पत्र दिनांक ....
....को प्रकाशित आपके विज्ञापन के सन्दर्भ संख्या................ में अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप पर निम्नानुसार प्रस्तुत करता / करती हूँ :–

क्र.	विवरण			
1	उम्मीदवार का व्यक्तिगत विवरण			
(अ)	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
(ब)	(क)जन्मतिथि –हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार (दिनांक–माह–वर्ष)			
	(ख) 01.07.2025 के अनुसार आयु (दिन–माह–वर्ष)			
2	शैक्षणिक योग्यता			
	योग्यता / प्रमाणीकरण	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रतिशत
a)				

b)				
c)				
d)				
e)				
f)				
(स)	सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करने होंगे।			
3.	वर्तमान/पूर्व व्यवसाय के विवरण सहित प्रासंगिक पृष्ठभूमि और अनुभव :			

क्र0सं0	संस्था का नाम	पदनाम	कार्यरत अवधि		उत्तरदायित्व	वेतनमान	उपलब्धियां
			कब से	कब तक			
a)							
b)							
c)							
d)							

4	स्थायी पता :	
5	ई–मेल पता	
6	दूरभाष (मोबाइल नं0)	
7	लैण्डलाईन नम्बर	
8	वर्तमान पता	
9	आयकर अधिनियम के तहत स्थायी खाता संख्या और आयकर सर्किल का नाम और पता	
10	प्रासंगिक ज्ञान और अनुभव	
11	इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी	
12	लिंग	
13	राष्ट्रीयता	
14	(क) जन्म स्थान	
15	(ख) मूल स्थान	
16	धर्म	
17	आधार नम्बर	
18	श्रेणी (सामान्य/एस0सी0/एस0टी0/ ओ0बी0सी0)	
19	वैवाहिक स्थिति	
20	(क) सेवा में कुल वर्ष	
	(ख) सेवानिवृत्त की तिथि	
	3– वर्तमान रोजगार का विवरण:– (क)– संगठन:– (ख)– नियुक्ति का स्थान:– (ग)– पद–	

	(घ)– वर्तमान में प्राप्त वेतन/वेतनमान–	
21	अभ्यर्थी जिस सेवा का सदस्य है, तो उसके विरूद्ध अतीत में लम्बित या शुरू की गयी या दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, का विवरण	
23	विगत में अभ्यर्थी के विरूद्ध लम्बित या प्रारम्भ किये गये या दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप हुये आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण	
24	क्या अभ्यर्थी कभी भी कर/ विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्व द्वारा नियमों/ विनियमों/विधायी सीमा प्राधिकारियों की शुल्क/ उत्पाद शुल्क/ आय आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, यदि हॉ, तो ब्यौरा दें।	
25	उपर्युक्त एवं उचित निर्णय के लिये प्रासंगिक समझी जाने वाली कोई अन्य व्याख्या/सूचना	

मैं पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी घटनाओं के बारे में संस्था को यथाशीघ्र पूरी जानकारी देने का वचन देता हूँ/देती हूँ, जो ऊपर दी गई जानकारी से प्रासंगिक है।

स्थान.................... हस्ताक्षर

दिनांक..................